न्यायालय जिला कलक्टर एवं आर्बीट्रेटर, श्रीगंगानगर

विविध एन.एच. प्रकरण संख्या 15/2023(GCMS 2023/168)

जसविन्द्र सिंह पुत्र श्री जीत सिंह जाति जटसिख गांव 46 एफ मौड़ा तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. **भारत संघ** जरिये सेक्रेट्री सरफेस ट्रान्सपोर्ट एवं नेशनल हाईवे, नई दिल्ली
2. **भारतीय नेशनल हाईवे** जरिये जनरल मैनेजर 5 व 6 सेकटर 10, द्वारिका, नई दिल्ली
3. **परियोजना निदेशक,** भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, 191 कोर्ट रोड़, नजदीक सिटी पुलिस स्टेशन, हनुमानगढ़ टाऊन, हनुमानगढ़
4. **सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति)** एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर
5. **राजस्थान राज्य जरिये मुख्य सचिव,** राजस्थान सरकार, जयपुर
6. **अधिशाषी अधिकारी**, नगरपालिका, श्रीकरणपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

16.06.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री कुलदीप सिंह एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री विनोद शर्मा उपस्थित हुए। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री कुलदीप सिंह का कथन है कि प्रार्थी के नाम एकल खाता संख्या नया 26 पुराना 18 की कृषि भूमि नगर पालिका मण्डल, श्रीकरणपुर के नगरीय क्षेत्र की पैराफेरी में पटवार हल्का तेजेवाला (10 ओ) के गांव 12 ओ के मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 02 में तादादी 0.2530 हैक्टेयर, किला नं. 11 में तादादी 0.2530 हैक्टेयर, किला नं. 12 में 0.2530 हैक्टेयर, किला नं. 13 में 0.2530 हैक्टेयर, किला नं. 14 में 0.2530 हैक्टेयर, किला नं. 15 में 0.2530 हैक्टेयर कुल 1.3388 हैक्टेयर नहरी भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है।

उनका आगे यह भी कथन है कि श्रीकरणपुर के चक 12ओ के मुरब्बा नं. 39 के किला नं. 11 में तादादी 0.1792 हैक्टेयर भूमि (14 बिस्वा) को जो मुआवजा जारी किया गया है उसमें कृषि नहरी किस्म साधारण बारानी दर्ज कर रखा है जबकि प्रार्थी की उक्त किला नं. 11 की कृषि

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:49:22 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

भूमि अवाप्ति से पूर्व ही नहर द्वारा सिंचित की जारी रही थी। उक्त त्रुटि राजस्व विभाग के कार्मिकों द्वारा रिकॉर्ड संधारण में सहबन से हुई त्रुटि प्रतीत होती है जिसे रिकॉर्ड के अनुसार दुरूस्त किया जा सकता है।

उनका आगे यह भी कथन है कि श्रीकरणपुर के गांव 12ओ पटवार हल्का तेजेवाला (10ओ) भू–भिलेख निरीक्षक क्षेत्र श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरणपुर के मु.नं. 39 के किला नं. 11 में तादादी 0.1792 हैक्टेयर भूमि जिसे राजस्व गांव 12 ओ पटवार हल्का तेजेवाला 10 ओ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की बारानी भूमि मानकर अधिग्रहण की गई है।

उनका आगे यह भी कथन है कि भारतमाला सड़क परियोजना में प्रार्थी की उक्त मु.नं. 39 के किला नं. 11 की आवाप्त शुदा नहरी भूमि का मुआवजा बारानी भूमि की दर से दिया गया है, जिससे दुरूस्त करवाकर नगरपालिका करणपुर की पैराफेरी में स्थित सिंचित नहरी कृषि भूमि के बाजार मूल्य की दर से गणना कर मुआवजा राशि सोलिशियम आवाप्ति के दिन से निर्धारित ब्याज, मानसिक संताप राशि की गणना करके दिया जावे।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी की नगर पालिका मण्डल श्रीकरणपुर की पैराफेरी में अवस्थित सिंचित कृषि भूमि भारतमाला सड़क परियोजना में आ रही है। सिंचित नहरी कृषि भूमि का मुआवजा प्राप्त करने का प्रार्थी अधिकारी है जिसकी बाबत् प्रार्थी ने श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी एवं आवाप्ति अधिकारी श्रीकरणपुर के समक्ष अपनी आपत्तियां दर्ज करवाई थी और अपनी नगर पालिका श्रीकरणपुर की पैराफेरी में स्थित सिंचित नहरी कृषि भूमि के हिसाब से मुआवजा तय किये जाने का निवेदन किया जाता रहा है लेकिन उक्त भूमि आवार्ड में आवाप्ताधीन भूमि में स्थित परिसम्पतियों के अवार्ड दिनांक 24.06.22 हेतु एक अधिसूचना संख्या का.आ. 1434 (अ) का दिनांक 09.04.2018

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:59:22 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

को दो स्थानीय समाचार पत्रों के हिन्दी प्रारूप में दिनांक 11.04.2018 को इस आशय से प्रकाशन करवाया गया कि प्रकाशित अधिसूचना के अन्तर्गत हितबद्ध खातेदार काश्तकार पक्षकारान आवाप्ताधीन भूमि के सम्बन्ध में यदि इनका कोई आक्षेप हो तो वह इसे निर्धारित समयावधि 21 दिन में सक्षम प्राधिकारी (भू आवाप्त एवं उपखण्ड अधिकारी) श्रीकरणपुर के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। इसी क्रम मे आवाप्ताधीन भूमि के हितबद्ध पक्षकार होने के नाते प्रार्थी द्वारा अपनी लिखित आपत्ति सक्षम प्राधिकारी भूमि आवाप्ति श्री करणपुर को दर्ज करवाई गई एवम् आवार्ड में हुई त्रुटि पर ध्यान इंगित करवाते हुए त्रुटिशुदा के सुधार की इस्तदुआ की गई लेकिन उपरोक्त आपत्तियों को रिकॉर्ड पर लेकर सुनवाई करते समय सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी ने भी तहसीलदार से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी की चक 12 ओ के मुरब्बा नं. 39 की किला नं. 11 की अवाप्तशुदा भूमि को सिंचित मानते हुए संशोधित अवार्ड जारी करने का आदेश प्रदान किया किन्तु प्रार्थी के पक्ष में न तो संशोधित अवार्ड जारी किया गया और न ही संशोधित अवार्ड राशि प्रदान की गई।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी की चक 12 ओ के मु0न0 39 में पडती है जो सी.सी.ए के रिकार्ड में नहरी है। प्रार्थी की आवाप्त शुदा भूमि सिंचित कृषि भूमि है, जिसका नहरी विभाग की ओर से पानी बन्धा हुआ है, पानी की पर्ची प्रार्थी के नाम से है एवं मौके पर प्रार्थी की आवाप्त शुदा भूमि में नहरी पानी द्वारा सिंचाई की जा रही है। लेकिन सक्षम अधिकारी (भूमि आवाप्ती) एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर द्वारा प्रार्थी की भूमि को सामान्य बारानी बताकर मुआवजा राशि का मुल्याकन कर आवार्ड संख्या 184, 185 विधि विरूध जारी किया गया है। जिसको [illegible] नगरपालिका श्रीकरणपुर की पेराफेरी में अवस्थित सिंचित [illegible] मूल्य की दर 11495/– रूपये प्रतिवर्ग मीटर की दर से [illegible] करने का प्रार्थी विधि अनुसार अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:59:22 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि भूमि आवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर के द्वारा जारी अवार्ड संख्या 184, 185 दिनांक 26.05.2021 में प्रार्थी की उक्त भूमि को केवल बारानी कृषि भूमि अंकित कर मुआवजा तय किया गया है, न तो सिंचित कृषि भूमि का मुआवजा दिया गया है जो न्यायोचित नहीं है। प्रार्थी भारतमाला सड़क परियोजना में अपनी चक 12 ओ के मु.नं. 39 के किला नं. 11 की आवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा नगर पालिका श्रीकरणपुर के परिधीय नियंत्रण पट्टी की कृषि उपज मण्डी श्रीकरनपुर के बाजार मुल्य 11495 / — रूपये प्रतिवर्ग मीटर की दर से मुल्याकन कर मुआवजा राशि 20,599,040 / — रूपये प्राप्त करने का प्रार्थी अधिकारी है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी नगरपालिका, श्रीकरणपुर के पैराफेरी नियंत्रण पट्टी में स्थित कृषि भूमि चक 12 ओ के मुं.नं. 39 के किला नं. 11 की अवाप्तशुदा कृषि भूमि तदादी 0.1790 है. का मुआवजा उस क्षेत्र की कृषि उपज मण्डी के बाजार मूल्य 11495 / — रूपये प्रति वर्गमीटर से गणना करके पुनः मुआवजा निर्धारित करने, अवार्ड की दिनांक से मुआवजा राशि एवं सोलिशयम की राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज की गणना कर ब्याज निर्धारित करने एवं अवार्ड संख्या 184 व 185 में प्रार्थी का नाम दुरूस्त कर जसविन्द्र सिंह पुत्र जीत सिंह दर्ज कर संशोधित करने, मूल अवार्ड संख्या 184 व 185 मे दर्ज अवाप्तशुदा भूमि की किस्म बारानी को संशोधित कर सिंचित नहरी किया जावे और अवाप्तशुदा भूमि के मुआवजा राशि का पुनः मूल्यांकन कर सिंचित नहरी भूमि की दर से मुआवजा राशि की गणना की जाने की प्रार्थना की हैं

इसके विपरीत अप्रार्थी [illegible] ने कथन किया कि उक्त अवार्ड के मुआवजा गणना [illegible] की [illegible] 184 व 185 पर भू स्वामी का नाम जगविन्द्र सिंह पुत्र [illegible] सिख अंकित है, जगविन्द्र सिंह पुत्र जीत सिंह जाति जट सिख अंकित है, जि[illegible] उक्त अवार्ड में प्रार्थी ने सहवन से अंकित होना बता रहा है तथा इस प्रार्थना पत्र में अवाप्त भूमि को स्वयं की होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:59:22 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

के सम्बंध में कथन कर रहा है। यह भी हो सकता है कि प्रार्थी के अलावा अवार्ड में वर्णित जगविन्द्र सिंह पुत्र जीत सिंह जाति जट सिख के नाम का कोई अन्य व्यक्ति भी हो। प्रार्थी ने कोई ऐसा दस्तावेज भी पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया है. जिससे यह जाहिर हो कि उक्त भूमि अवार्ड के क्रम संख्या 184—185 पर वर्णित भू—स्वामी जगविन्द्र सिंह पुत्र जीत सिंह जाति जट सिख ही जसविन्द्र सिंह पुत्र श्री जीत सिंह जाति जट सिख है। प्रार्थी ने भू—स्वामी का नाम अवार्ड में गलत अंकित होना तो बताया है. लेकिन उसे सक्षम स्तर से दुरूस्त कराये बिना ही यह प्रार्थना पत्र जसविन्द्र सिंह पुत्र श्री जीत सिंह के नाम से माननीय मध्यस्थ महोदय के समक्ष दायर किया है, जो कि इस स्तर पर प्रार्थी के नाम से विचारणीय नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर प्रथमदृष्टया खारिज किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) ने हस्तगत प्रकरण में प्रश्नगत अवाप्त बारानी कृषि भूमि की मुआवजा राशि का निर्धारण राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को राजस्व रिकॉर्ड/जमाबन्दी (जो भूमि की किस्म/प्रकृति का निश्चायक सबूत होता है) में दर्ज भूमि की किस्म बारानी की प्रचलित दर के आधार पर किया जाकर भूमि अवार्ड दिनांक 26.05.2021 को पारित किया गया है, जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है, लेकिन फिर भी प्रार्थी ने मिथ्या आधारों पर प्रश्नगत बारानी/असिंचित अवाप्त भूमि के मुआवजे की मांग धारा 3ए के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को राजस्व रिकॉर्ड/जमाबन्दी में दर्ज भूमि की किस्म बारानी के विपरीत जाकर सिंचित की मांग कर रहा है। प्रार्थी भी अवाप्त भूमि को धारा 3ए के अधिसूचना के तत्समय राजस्व रिकॉर्ड/जमाबन्दी में सिंचित दर्ज होना साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:59:22 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के अनुसार भी धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 के जारी होने के बाद, अवार्ड पारित होने की दिनांक 26.05.2021 तक भी प्रश्नगत अवाप्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड /जमाबन्दी (जो भूमि की किस्म/प्रकृति का निश्चायक सबूत होता है) में बारानी दर्ज थी और प्रश्नगत भूमि अवाप्त हो जाने से अब अवाप्त भूमि की किस्म की सीमा तक राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन किया जाना कानूनन सम्भव ही नहीं है, इसलिये प्रार्थी को स्वयं द्वारा प्रस्तुत सारहीन दस्तावेजों का कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) ने अवाप्त भूमि की प्रकृति, किस्म, स्वामित्व आदि की राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों से जांच करवाये जाने के उपरांत मुआवजे का अवार्ड जारी किया है, इसलिए प्रार्थी बारानी अवाप्त भूमि का मुआवजा सिंचित दर से प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी इस प्रार्थना पत्र में बारानी अवाप्त कृषि भूमि की मुआवजा राशि की मांग अवैधानिक दर 11,495/— रू. प्रति वर्गमीटर से कर रहा है, जबकि स्वयं प्रार्थी के कथनानुसार उक्त दर कृषि उपज मंडी श्रीकरणपुर की दर है, जो नियमानुसार अवाप्त कृषि भूमि पर लागू ही न होती है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आधारहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि हस्तगत प्रार्थना पत्र में वर्णितानुसार प्रार्थी द्वारा कोई आपत्ति सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) के समक्ष निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं की गई ऐसी स्थिति में सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा उक्त भूमि अवार्ड पारित दिये जाने के पश्चात् प्रार्थी को किसी भी प्रकार की आपत्तियां दर्ज कर, प्रार्थना पत्र मध्यस्थ महोदय के समक्ष प्रस्तुत करने का कोई का अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:39:22 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोष के संबंध में धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 से पूर्व की कोई विधिक ठोस दस्तावेजी साक्ष्य भी माननीय मध्यस्थ महोदय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की है तथा प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को भी साबित कर पाने में पूर्णतया असफल रहा है। इसलिए प्रार्थी ने बिना किसी आधार के अप्रार्थीगण को परेशान करने के लिए माननीय मध्यस्थ महोदय के समक्ष यह हस्तगत प्रकरण गलत व मिथ्या आधारों पर प्रस्तुत किया है, जो कि खारिज किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी द्वारा अवाप्त भूमि के सिंचित होने के संबंध में कहे गये कथन सरासर गलत है, क्योंकि राजस्व अधिकारियों के जांचोपरान्त राजस्व रिकॉर्ड/जमाबन्दी के अनुसार अधिनियम 1956 की धारा 3ए के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 के तत्समय अवाप्त भूमि बारानी दर्ज रिकॉर्ड थी। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र को लम्बा करने की नीयत से व माननीय मध्यस्थ महोदय को गुमराह कर स्वयं को अनुचित व अवैध लाभ पहुंचाने की नीयत से धारा 3ए की अधिसूचना के तत्समय के राजस्व रिकॉर्ड/जमाबन्दी के विपरित जाकर बारानी अवाप्त भूमि को बिना किसी विधिक आधार के नहरी कृषि भूमि होने के संबंध में मिथ्या कथन कर रहा है। नगरपालिका क्षेत्र/मास्टर प्लान/पैराफेरी के भीतर स्थित कृषि भूमि, कृषि ही रहती है और उनकी दरे नगरपालिका द्वारा तय नहीं की जाकर राज्य सरकार द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा तय की जाती है चाहें भूमि नगरपालिका क्षेत्र/मास्टर प्लान/पैराफेरी के अन्दर/बाहर स्थित हो जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रचलित दरों के अनुसार ही मुआवजा [illegible] सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा अवाप्त भूमि की किस्म/प्रकृति की प्रचलित दरों के विपरित जाकर मुआवजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:59:22 IST
Reason: SelfAttested

Manju
आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

राशि का निर्धारण नही किया जा सकता है। जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रत्येक भूमि की उपयोगिता, किस्म, उसकी भौगोलिक स्थिति, सामाजिक परिस्थितियाँ, बाजार भाव, शहर व सडक से दूरी इत्यादि का मूल्यांकन करने के पश्चात दरे तय की जाती है, जो कि वास्तविक दर होती है। अधिनियम 1956 की धारा 3जी (7)(ए) की अनुपालना में धारा 3ए की अधिसूचना के प्रकाशन के समय प्रश्नगत अवाप्त बारानी/असिंचित कृषि भूमि की जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित प्रचलित दर 3,72,780/—रू. प्रति हैक्टेयर के अनुसार अवार्ड की गणना पर्चा की क्रम संख्या 184 व 185 पर अवाप्त भूमि मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है, जो कि नियमानुसार है, लेकिन प्रार्थी अवाप्त भूमि की मुआवजे की मांग कृषि उपज मण्डी श्रीकरणपुर की दर से कर रहा है, जो कि कानूनन गलत होने के कारण स्वीकार व देय नही है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रश्नगत अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि का निर्धारण धारा उए की अधिसूचना को राजस्व रिकॉर्ड/जमाबन्दी (जो भूमि की किस्म/प्रकृति का निश्चायक सबूत होता है) में दर्ज भूमि की किस्म बारानी के अनुसार ही किया गया है, जो नियमानुसार है, जिसे किसी भी सूरत में गलत नही ठहराया जा सकता है। प्रार्थी बिना किसी आधार के ही इस अवार्ड से व्यथित होना बता रहा है, जबकि यह भूमि अवार्ड दिनांक 26.05.2021 नियमानुसार सही जारी किया गया है, जिससे व्यथित होने का कोई प्रश्न ही पैदा नही होता है। राजस्व अधिकारियों द्वारा संघारित राजस्व रिकॉर्ड (जो भूमि की किस्म/प्रकृति का निश्चायक सबूत होता है) में दर्ज भूमि की किस्म बारानी के आधार पर ही धारा उए की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को जारी की गई है. जिसमें भी प्रार्थी की अवाप्त भूमि की किस्म बारानी दर्शित हुई है. जिसकों ध्यान में रखते हुए ही सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) ने मुआवजा राशि का निर्धारण कर भूमि अवार्ड दिनांक 26.05.2021 को पारित किया है, जिसमें दुरुस्त किये जाने की कोई आवश्यकता नही है। इस प्रकार सक्षम प्राधिकारी ने राजस्व अभिलेख जमाबन्दी को ध्यान में रखते हुए प्रचलित दर के अनुसार प्रश्नगत अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि का नियमानुसार निर्धारण किया है, जिससे भू—स्वामी को किसी भी प्रकार की आर्थिक हानि नहीं हुई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:39:22 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी ने सक्षम प्राधिकारी के समक्ष निर्धारित समयावधि मे कोई आपति दर्ज नहीं करवायी है। सक्षम प्राधिकारी ने निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत आपत्तियों का हितधारियों को सुनवाई का अवसर देने के बाद नियमानुसार निरस्तारण किया गया है, यदि प्रार्थी की ओर से निर्धारित समयावधि के बाद कोई आपत्ति प्रस्तुत की गई है, तो भी वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा कानूनन विचारणीय नही है। अवाप्तधीन भूमि में स्थित परिसम्पत्तियों के अवार्ड दिनांक 24.06.2022 के संबंध में अधिसूचना संख्या का.आ. (1454 अ) दिनांक 09.04.2018 को जारी नहीं की गई, बल्कि जो अधिसूचना संख्या का.आ. (1454अ) है, वह दिनांक 02.04.2018 को जारी की गई है, जो परिसम्पत्तियों के अवार्ड से संबंधित नहीं होकर भारतमाला के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु की जाने वाली भूमि अवाप्ति से संबंधित थी, जिसके संबंध में दिनांक 11.04.2018 को स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाया जाकर 21 दिन की निर्धारित समयावधि में आपत्तियां आमंत्रित की गई थी, लेकिन प्रार्थी द्वारा उक्त निर्धारित अवधि के भीतर कोई आपत्ति सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) के समक्ष प्रस्तुत नही की गई। प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रकरण में भूमि अवार्ड दिनांक 26.05.2021 को जारी किया गया है, जिससे जाहिर होता है कि प्रार्थी ने दिनांक 26.05.2021 को भूमि अवार्ड जारी होने के पश्चात सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) के समक्ष आपत्ति दर्ज करवायी है, जो कि कानूनन विचारणीय ही नही है। ऐसी दशा में प्रार्थी द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत आपत्ति व उस पर यदि कोई कार्यवाही की भी गई है, तो वह भी आधारहीन व नियम विरूद्ध है तथा कानूनन विचारणीय नही है। इसलिए प्रार्थी अब कोई मुआवजा प्राप्[illegible]ा कानूनन अधिकारी नही है।

उनका का आगे य[illegible] 1956 की धारा 3जी (7)(ए) की अनुपालना में धारा 3ए की अधिसू[illegible]ा दिनांक 02.04.2018 को अवाप्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:59:22 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

भूमि राजस्व रिकॉर्ड में बारानी भूमि दर्ज थी, की जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित प्रचलित दर 3,72,780/– रू. प्रति हैक्टेयर के अनुसार अवार्ड की गणना पर्चा की क्रम संख्या 184 व 185 पर अवाप्त भूमि मुआवजा राशि का निर्धारण किय गया है, जो कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में दर 11,495/– प्रति वर्गमीटर को कृषि उपज मंडी की दर बतायी है, जो अवाप्त भूमि पर लागू ही नहीं होती है, के अनुसार अवाप्तशुदा भूमि के अवैधानिक मुआवजे की मांग कर रहा है, जो कि नियम विरूद्ध होने के कारण स्वीकार व देय नहीं है।

उनका आगे यह भी कथन है सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) ने निर्धारित अवधि में हितधारियों की ओर से प्रस्तुत आपत्तियों का नियमानुसार निस्तारण कर भूमि अवार्ड पारित किया है, लेकिन प्रार्थी की ओर से निर्धारित अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई है, इसलिये इस स्तर पर आपत्ति के संबंध में कथन करने का कानूनन अधिकार प्रार्थी को प्राप्त नही है, अतः प्रार्थी माननीय मध्यस्थ महोदय से कोई राहत प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अधिनियम 2013 की धारा 30(1) के अनुसार दी जाने वाली सोलेशियम राशि पर ब्याज/अतिरिक्त कोई राशि दिये जाने का प्रावधान अधिनियम 2013 व अधिनियम 1956 में नहीं है। प्रार्थी सोलोशियम राशि पर कानूनन कोई ब्याज/अतिरिक्त राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। भू–स्वामी को अवाप्तशुदा भूमि के संबधं में अधिनियम 2013 की धारा 26 (1) के अनुसार प्रचलित दर, धारा 26(2) के अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.06.2016 के तहत फैक्टर का लाभ, धारा 30 (1) के अनुसार 100 प्रतिशत सोलेशियम राशि व धारा 30 (3) के अनुसार भूमि के मूल बाजार मूल्य से अवार्ड पारित होने तक 12 प्रतिशत

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:59:22 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

ब्याज स्वरूप राशि दी गयी है। इस प्रकार भू–स्वामी को अधिनियम 2013 के लागू प्रावधानानुसार समस्त लाभ दिये गये है, जो कि भूमि मुआवजा अवार्ड के अवलोकन से ही जाहिर हो जाता है। अतः प्रार्थी अन्य कोई लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नही है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने की प्रार्थना की है।

मैनें, पत्रावली, उसके संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया।

राजस्थान राज्य के श्रीगंगानगर में भारतमाला परियोजना पैकेज–6 (पार्ट–1) के श्रीगंगानगर (एनएच–62) साधुवाली–जैड माईनर श्रीकरणपुर–गजसिंहपुर –रायसिंहनगर के दो / चार लेन पेव्ड शोल्डर कार्य के अन्तर्गत लोक प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन करने व लोक प्रयोजन के लिए भूमि अपेक्षित होने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(ए) की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 02.04.2018 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की गई थी। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(ए) निम्नानुसार अवलोकनीय है:

> **3A. Power to acquire land, etc, -**
>
> (1) Where the central Government is satisfied that for a public purpose any land in required for the building, maintenance, management or operation of a national highway of part thereof it may, by notification in the official gazette, declare its intention to acquire such land.
>
> (2) Every notification under sub section (1) shall give a brief description of the land.
>
> **(3)** The competent authority shall cause the substance of the notification to be published in two local newspapers, one of which will be in a vernacular language.

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:59:22 IST
Reason: SelfAttested

सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, करणपुर द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 25.08.2022 के पृष्ठ संख्या 3 बिन्दु संख्या 3 व 4 में निम्नानुसार अंकित किया है :

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

3. लोक सूचना के लिए उक्त अधिसूचना संख्या का.आ. 1454 (अ) का दिनांक 02.04.2018 को दो स्थानीय समाचार पत्रों में सीमा सन्देश व राजस्थान पत्रिका हिन्दी प्रारूप में दिनांक 11.04.2018 को इस आशय से प्रकाशित करवाया गया कि प्रकाशित अधिसूचना के अन्तर्गत हितबद्ध खातेदार, काश्तकार / पक्षकारान अवाप्ताधीन भूमि के संबंध में यदि उनका कोई दावा / आक्षेप हो तो, वे उसे निर्धारित समयावधि 21 दिनों में सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) अर्थात् उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में प्रभावित खातेदारों की ओर से प्राप्त आपत्तियों को रिकार्ड पर लिया गया तथा प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई की जाकर निस्तारण किया गया।
4. **कार्यालय हाजा द्वारा अवार्ड दिनांक 26.05.2021 जारी होने पर** प्रार्थी जसविन्द्र सिंह पुत्र जीत सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौड़ां के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि चक 12 ओ पटवार मण्डल तेजेवाला में प्रार्थी की भूमि मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 11 में जमाबंदी में भूमि की किस्म बारानी दर्शायी गयी थी जिसे मेरे द्वारा प्रार्थना पत्र देकर मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 11 की किस्म नहरी दर्ज करवा ली गई है। अतः अवार्ड दिनांक 26.05.2021 में मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 11 की भूमि की किस्म बारानी के स्थान पर नहरी करने का कष्ट करें।

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 सी निम्नानुसार अवलोकनीय है:

3C Hearing of Objections

1. **Any Person interested in the land may, within tweny-one days from the date of publication of the notification under sub section (1) of section 3A, object to the use of the land for the purpose or purpose mentioned in that sub-section**
2. Every objection under sub section (1) shall be made to the competent authority in writing and shall set out the grounds thereof and competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legel practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the competent authority thinks necessay, by order, either allow or disallow the objections

Explanation : for the purpose of this section, "legal practitioner has the same meaning as in clause (i) of sub-section(1) of Section 2 of the Advocate Act 1961 (25 of 19

3. Any order made by the competent authority under sub-section (2) shall be final."

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:39:22 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

धारा 3ए का नोटिफिकेशन जारी होने के पश्चात जिन व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 सी के अन्तर्गत जो भी आपत्तियां सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई, उन्हें पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया गया तथा आपत्तियों को सुनने के पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपत्तियों का नियमानुसार निस्तारण किया गया है। प्रार्थी द्वारा अवार्ड दिनांक 26.05.2021 जारी होने के पश्चात प्रार्थी द्वारा आपत्तिया पेश की गई है, जबकि प्रार्थी को अधिसूचना संख्या का.आ. 1454 (अ) का दिनांक 02.04.2018 को दो स्थानीय समाचार पत्रों में सीमा सन्देश व राजस्थान पत्रिका हिन्दी प्रारूप में दिनांक 11.04.2018 को प्रकाशित करवाया गया। अधिसूचना प्रकाशन के 21 दिनों में, काश्तकारों को अवाप्ताधीन भूमि के संबंध में अपना आक्षेप हो तो वे उसे निर्धारित समयावधि 21 दिनों में सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) अर्थात् उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर के समक्ष प्रस्तुत कर सकते थे, जबकि प्रार्थी ने अपना आक्षेप अवार्ड दिनांक 26.05.2021 के बाद अर्थात समयावधि के पश्चात पेश किया है, इसलिए प्रार्थी का यह कथन कि <u>सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनके प्रकरण में उनकी आपत्तियों का निस्तारण नहीं किया गया, स्वीकार करने योग्य नहीं है।</u>

सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, करणपुर द्वारा अपने प्रकरण संख्या 01/2021 (पूरक) में पारित अवार्ड दिनांक 25.08.2022 के पृष्ठ संख्या 6 बिन्दु संख्या 3 व 4 में निम्नानुसार अंकित किया है :

> 3. भूमि अर्जन, पुर्नवासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की पहली अनुसूची के क्रम संख्या 1 के अनुसार भूमि का बाजार मूल्य निर्धारित किये जाने हेतु धारा 26(1)(क) के अ[illegible]प पंजीयक से डीएलसी अनुमोदित दरें प्र[illegible] उक्त अधिनियम की प्रथम सूची के अनुसार प्रतिकर [illegible]या है। उक्त पहली अनुसूची के क्रम संख्या 2 में शहरी क्षेत्र [illegible] परियोजना की दूरी के आधार पर भूमि के बाजार मूल्य का कारक (Factor) से गुणित किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:59:22 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

है। जिसमें समुचित सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.06.2016 के अनुसार कारक (Factor) से गुणित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 3(ड)(i) अनुसार किसी राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर स्थित भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में राज्य सरकार से तात्पर्य इस परियोजना में राजस्थान सरकार से है। इसलिए संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प–1(3)राज.6/2011/पार्ट/26 जयपुर दिनांक 14.06.2016 इस प्रकरण पर लागू होती है, कारक निर्धारण हेतु ग्रामों की दूरी शहरी सीमा क्षेत्र के अन्तिम बिन्दु से Radial दूरी के अनुसार किया गया है। अवार्ड निर्धारण में आने वाले ग्राम (1) IFA (2) 12 O (3) 46 F में कारक (Factor) 1.25(0 से 10 कि.मी.) एवं ग्राम (4) 44 F (5) 5 O (6) 6O-A (7) 6O-B (8) 9W में कारक (Factor) 1.50 (10 से 20 कि.मी.) में आने के कारण लागू होगा।

4. भूमि अर्जन, पुर्नवासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की पहली अनुसूची की क्रम संख्या 5 के अनुसार बाजार मूल्य के समतुल्य तोषण की राशि निर्धारित की जा रही है।

सक्षम प्राधिकारी के उक्त आदेश से स्पष्ट है कि डी.एल.सी. दर विशेषज्ञों की कमेटी द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाती है और प्रार्थी को डी.एल.सी. दरों के अनुरूप ही मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है। **महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर के परिपत्र क्रमांक एफ.7(39)जन/मार्गदर्शिका/2015/पार्ट/4671 दिनांक 17.06.2015 में दिये गये निर्देशानुसार, जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित की गई दरें ही वास्तविक बाजार मूल्य होती है।** इसलिए प्रार्थी का यह कथन की उसे दी गई मुआवजा कृषि उपज मण्डी के बाजार मूल्य से गणना करके पुनः मुआवजा राशि निर्धारित किया जावे, सही नहीं है। **अतः प्रार्थी को मुआवजा उस क्षेत्र की कृषि उपज मण्डी के बाजार मूल्य 11495/- रूपये प्रति बीघा से गणना करके पुनः मुआवजा राशि निर्धारित किये जाने का बिन्दु खारिज किया जाता है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:39:22 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान, जयपुर के पत्रांक प.1(3)राज/6/2011/पार्ट 26 जयपुर दिनांक 14.06.2016 द्वारा जारी अधिसूचना निम्नानुसार अवलोकनीय है:

अधिसूचना

भूमि, अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकारी अधिनियम 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30) की धारा 26 की उप–धारा (2) सपठित प्रथम अनुसूचि द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1(3)राज–6/2011/पार्ट/13 दिनांक 16.10.2014 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि ग्रामीण क्षेत्र की दशा में निकटतम शहरी क्षेत्र सीमा से अवाप्ति हेतु प्रस्तावित परियोजना की दूरी के आधार पर देय प्रतिकर पैकेज के निर्धारित हेतु बाजार मूल्य को जिस गुणक से गुणा किया जाना है, वह गुणक निम्ना अनुसार होगा :

शहरी क्षेत्र से दूरी	**गुणक जिससे बाजार मूल्य गुणित किया जावे**
0–10 कि.मी. तक	1.25
10 कि.मी. से अधिक व 20 कि.मी. तक	1.50
20 कि.मी. से अधिक व 30 कि.मी. तक	1.75
30 कि.मी. से अधिक	2.00

स्पष्टीकरण – जयपुर, जोधपुर व अजमेर के लिए विकास प्राधिकरणों की सीमा तक के क्षेत्र तथा विकास प्राधिकरणों से भिन्न शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम/नगर परिषद/नगरपालिका सीमा तक के क्षेत्र जिसमें उक्त स्थानीय निकायों के परिसीमन के समस्त वार्ड क्षेत्र सम्मिलित है, को शहरी क्षेत्र सीमा में माना जावेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:59:22 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

भारतमाला परियोजना के तहत मुआवजा राशि का निर्धारण उक्त अधिसूचना में दिये गये कारक(Factor) के अनुसार ही दिया जाना है जबकि प्रार्थी ने अपनी बहस में पैराफेरी क्षेत्र हेतु अलग से राशि दिये जाने की मांग की है, जो सही नहीं है क्योंकि प्रार्थी को उक्त कारक(Factor) के अनुसार की राशि निर्धारित कर भुगतान किया गया है। **इसलिए प्रार्थी का पैराफेरी क्षेत्र हेतु अलग राशि दिये जाने बिन्दु खारिज किया जाता है, साथ ही प्रार्थी की राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि किस्म यथा औद्योगिक/वाणिज्य/कृषि के आधार पर मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है।**

भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर ने अवाप्त भूमि के मुआवजा राशि पर ब्याज की गणना की है तथा भूमि की मुआवजा राशि पर सोलेशियम जोड़ा है। प्रार्थी ने सोलेशयिम की राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज से मांग की है, जबकि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकारी अधिनियम 2013 की धारा 30(1) और 30(3) निम्नानुसार अवलोकनीय है:

> **30. (1)** The Collector having determined the total compensation to be paid, shall, to Award of arrive at the final award, impose a "**Solatium"amount equivalent to one hundred per cent.** of solatium. the compensation amount. Explanation.-For the removal of doubts it is hereby declared that solatium amount shall be in addition to the compensation payable to any person whose land has been acquired.
>
> **(3)** In addition to the market value of the land provided under section 26, the Collector shall, in every case, award an amount calculated at the rate of twelve per cent. per annum on such market value for the period commencing on and from the date of the publication of the notification of the Social Impact Assessment study under sub-section (2) of section 4, in respect of such land, till the date of the award of the Collector or the date of taking possession of the land, whichever is earlier.

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:59:22 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त अधिनियम 2013 की धारा 30(1) के अनुसार अवाप्तशुदा भूमि पर 100 प्रतिशत सोलेशियम राशि व धारा 30(3) के अनुसार भूमि के बाजार मूल्य पर अवार्ड पारित होने तक, 12 प्रतिशत ब्याज स्वरूप राशि दिये जाने का प्रावधान है, जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने अवार्ड में दिया गया है। इसलिए प्रार्थी का सोलेशियम राशि पर ब्याज दिये जाने का बिन्दु खारिज किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर द्वारा अवाप्तशुदा भूमि के मुआवजा राशि की गणना निर्धारित डीएलसी दर (बाज़ार मूल्य) के आधार पर की गई है तथा संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान, जयपुर के पत्रांक प. 1(3)राज/6/2011/पार्ट 26 जयपुर दिनांक 14.06.2016 के अनुसार निर्धारित कारक(Factor) से गुणक राशि एवं उक्त दोनों राशि के बराबर 100 प्रतिशत अतिरिक्त तोषण (Solatium) राशि (धारा 30 के अधीन) एवं धारा 30(3) के तहत बाजार मूल्य(डीएलसी) पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्जाज(अवार्ड दिनांक तक) की गणना कर दी गई मुआवजा राशि सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य नहीं हैं। इस प्रकरण में प्रस्तुत अन्य समस्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जाते है।

उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति कम्पीटेंट अथोरिटी एंड एक्युजिशन उपखण्ड अधिकारी करणपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:39:22 IST
Reason: SelfAttested

Manju

(डॉ. मन्जू)
आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर